झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा
तृतीय (मॉनसून) सत्र

वर्ग-02

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक- 31 भाद्र 1942 (श0) / 22 सितम्बर, 2020 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे:-

क्रमांक	विभागों को संयुक्षित की गई सं.सं.	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
25.	क0-02	श्री नीरल पुरती	प्रोन्नति का लाभ।	अ0ज0ज0,अ0ज0, अल्प सं0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	15.09.20
26.	रा0-02	श्री केदार ह जरा	मुआवजा दिलाना।	राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार	15.09.20
27.	जा0-03	श्री किशुन कुमार दास	बकाये का भुगतान।	ऊर्जा	15.09.20
28.	स0-06	श्री दशरथ गागराई	अस्पताल का निर्माण।	स्वा0वि0,शि0 एवं परि0 कल्याण	15.09.20
29.	स0-03	श्री अमित कुमार मण्डल	खर्च की राशि।	स्वा0वि0,शि0 एवं परि0 कल्याण	15.09.20
30.	जा0-01	डॉ0 लम्बोदर महतो	तार पोल एवं एवं ट्रांसफार्मर बदलना।	ऊर्जा	15.09.20
31.	खा0-01	श्री अमित कुमार मण्डल	लाल कार्ड मुहैया कराना।	खाद्य,सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	15.09.20
32.	स0-01	श्री विनोद कुमार सिंह	भवन निर्माण पूर्ण करना।	स्वा0वि0,शि0 एवं परि0 कल्याण	15.09.20
33.	ख0-01	श्री कमलेश कुमार सिंह	कार्रवाई करना।	खान एवं भूतत्व	15.09.20
34.	जा0-02	श्री कोचे मुण्डा	सेन्ट्रल स्टोर खोलना।	ऊर्जा	15.09.20
35.	शि0-02	श्री समीर कुमार मोहन्ती	मध्यदेय एवं सुविधा उपलब्ध।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	15.09.20
36.	रा0-06	श्री भानु प्रताप शाही	लगान राशि में सुधार करना	राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार	15.09.20

01	02	03	04	05	06
37.	स0-02	सुश्री अम्बा प्रसाद	मुआवजा का भुगतान।	खान एवं भूतत्व	15.09.20
38.	शि0-01	श्री रामचन्द्र सिंह	पठन-पाठन प्रारम्भ करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	15.09.20
39.	जा0-06	श्री किशुन कुमार दास	मुआवजा एवं नौकरी देना।	ऊर्जा	15.09.20
40.	उ0-01	श्री दशरथ गागराई	सिल्क पार्क बनवाना।	उद्योग	15.09.20
41.	कृष-01	श्री कमलेश कुमार सिंह	फसल बीमा का लाभ।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	15.09.20
42.	ट-01	श्री रामचन्द्र सिंह	किला का जिर्णोद्धार।	पर्यटन,कला संस्कृति,खेलकूद युवा कार्य	15.09.20
43.	रा0-04	डॉ0 इरफान अंसारी	सर्वे सेटलमेन्ट कराना।	राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार	15.09.20
44.	मस0-01	श्रीमती अर्पणा सेनगुप्ता	मानदेय में वृद्धि।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	15.09.20
45.	कृष-05	श्री भानु प्रताप शाही	आत्मा कर्मियों का समायोजन।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	15.09.20
46.	कृष-04	श्री नारायण दास	योजना की जाँच।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	15.09.20
47.	जा0-07	श्री इन्द्रजीत महतो	विद्युत व्यवस्था ठीक करना।	ऊर्जा	15.09.20
48.	जा0-04	श्री मनीष जायसवाल	ट्रांसफार्मर की मरम्मती।	ऊर्जा	15.09.20
49.	उ-01	डॉ0 सरफराज अहमद	पठन-पाठन का कार्य प्रारम्भ कराना।	उच्च तकनीकि शिक्षा एवं कौशल विकास	15.09.20
50.	स0-05	डॉ0 सरफराज अहमद	आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ाई प्रारम्भ।	स्वा0चि0,शि0 एवं परि0 कल्याण	15.09.20
51.	स0-02	श्री कोचे मुण्डा	स्वास्थ्य कर्मियों का आवास निर्माण।	स्वा0चि0,शि0 एवं परि0 कल्याण	15.09.20
52.	जा0-05	श्री मथुरा प्रसाद महतो	कमर जाली लगाना।	ऊर्जा	15.09.20
53.	रा0-01	श्री मथुरा प्रसाद महतो	उच्चस्तरीय जाँच कर मुआवजा देना।	राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार	15.09.20
54.	कृष-03	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	कोल्ड स्टोरेज का निर्माण।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	15.09.20
55.	स0-04	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	स्वा0 सेवा बहाल कराना।	स्वा0चि0,शि0 एवं परि0 कल्याण	15.09.20
56.	क0-01	श्री सुदिव्य कुमार	विकासात्मक योजना चालू कराना।	अ0ज0जा0,अ0जा0, अल्प सं0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	15.09.20
57.	रा0-03	डॉ0 इरफान अंसारी	जमीन की बन्दोबस्ती।	राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार	15.09.20

कृ0पृ030/-

01	02	03	04	05	06
58.	रा0-05	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	आऊट सोर्सिंग कार्य बंद कराना।	राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार	15.09.20
59.	ख0-03	श्री इन्द्रजीत महतो	मुआवजा एवं नौकरी देना।	खान एवं भूतत्व	15.09.20
60.	ज0-01	श्री अनन्त कुमार ओझा	गंगा कटाव को रोकना।	जल संसाधन	15.09.20
61.	कृष0-02	प्रो0 स्टीफन मरांण्डी	पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	15.09.20

रॉंची,
दिनांक- 22 सितम्बर,2020(ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-03/2020.....1630...../वि0स0,रॉंची,दिनांकः-18.09.2020

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

गिरवरधारी
18/9/2020
(गिरवरधारी प्रसाद)
उप सचिव,झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-03/2020.....1630...../वि0स0,रॉंची,दिनांकः-18.09.2020

प्रतिलिपिः-माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय को सूचनार्थ एवं अपर सचिव प्रश्न तथा संयुक्त सचिव,प्रश्न को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवरधारी
18/9/2020
(गिरवरधारी प्रसाद)
उप सचिव,झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-03/2020.....1630...../वि0स0,रॉंची,दिनांकः-18.09.2020

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा,वेबसाईट शाखा,ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवरधारी
18/9/20
(गिरवरधारी प्रसाद)
उप सचिव,झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची।

राजेन्द्र/-

18/9/20

(25)

श्री निरल पुरती, स०वि०स०, द्वारा दिनांक– 22.09.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– क०–02 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लिपिक संवर्ग के कर्मियों को प्रोन्नति का पद रहते हुए भी सरकार द्वारा उन कर्मियों को अभीतक प्रोन्नति नहीं दी गयी है ;	स्वीकारात्मक। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक संवर्ग के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति तथा अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु नियमावली का गठन प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में कर्मियों को ACP/MACP योजना के अन्तर्गत वित्तीय लाभ प्रदान किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि सरकार की उदासीनता के कारण है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिक अपने नियुक्त पद पर ही सेवा निवृत हो रहे है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकों को प्रोन्नति का लाभ प्रदान करने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	नियमावली के गठन के पश्चात् प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स०(तारां०)–05/2020– 1880 राँची, दिनांक– 21/9/2020

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक– 1528/वि०रा०, दिनांक–15.09.2020 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/09/2020

(विजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री केदार हजरा, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–22.09.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–03 का प्रश्नोत्तर –

क्र	प्रश्न	उत्तर
	श्री केदार हजरा, माननीय स.वि.स.	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि राजपथ (स्टेट हाइवे) में स्थानीय जनता की जमीन सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहण करने पर सरकारी दर पर मुआवजा का प्रावधान है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह समाहर्त्ता के पत्रांक–828, दिनांक–13.07.2019 के द्वारा कुल 17 स्थानीय किसानों की जमीन अधिग्रहण करने के लिए आदेश निर्गत किया गया था ? यह जमीन कोडरमा–डोमचांच–खोरीमहुआ–जमुआपथ (SH-13) पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि निकाली गई उक्त अधिसूचना के क्रमांक–1 के रैयत डेगन साव, पिता–जीवानी साव के खाता सं0–07, प्लॉट सं0–1330/1 तथा क्रमांक–5 के खाता संख्या–32 प्लॉट संख्या–1325 में क्रमशः 0.1800 डी0 0.0075 डी0 के रैयत को भू–अर्जन कार्यालय, गिरिडीह द्वारा कोई मुआवजा भूमि अधिग्रहण के लिए नहीं दिया गया है ;	कार्यालय ज्ञापांक–828, दिनांक–13.07.2019 के द्वारा प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन किया गया है। RFCTLARR Act, 2013 की धारा–19 (2) के तहत् अधियाची विभाग (कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, गिरिडीह) से राशि की मांग की गयी है। भू–अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। राशि प्राप्त होने के उपरांत भू–अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए मुआवजा भुगतान की नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बचे किसान जिसे मुआवजा नहीं मिला है, उसे मुआवजा दिलाना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–8बी0/भू0अ0नि0 वि0स0 (तारां0)–105/2020. 369 (8)/रा., राँची, दिनांक 21-9-2020

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं.–1549/वि.स., दिनांक–15.09.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/2020
सरकार के उप सचिव

(24)

श्री किशुन कुमार दास, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.09.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–03 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता श्री किशुन कुमार दास, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
क्या यह बात सही है कि श्री कमलेश कुमार, पिता-स्व० विजय कुमार सिंह, ग्राम-बेला मयूरहंड, थाना-मयूरहंड, जिला-चतरा ने वर्ष 2017 में आर०वी० इलेक्ट्रिकल्स की स्थापना इंडस्ट्रीज झारखण्ड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी-2014 के तहत की गयी है जहाँ उत्पादित सामग्रियों से संबंधित भुगतान जे०बी०वी०एन०एल० द्वारा तीस दिनों के भीतर ही किये जाने का प्रावधान है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
क्या यह बात सही है कि पिछले एक वर्ष से जे०बी०वी०एन०एल० द्वारा सामग्रियों का उठाव मात्र किया जा रहा है जबकि भुगतान पर पूर्णतः रोक लगा दिया गया है, जिसके कारण इंडस्ट्रीज के मालिक पर बैंक का ब्याज चढ़ जाने के कारण इंडस्ट्रीज को चलाने की स्थिति मे नहीं है तथा इनमें कार्यरत सभी मजदूर एवं अन्य कर्मी भुखमरी के कगार पर आ चुके है;	अस्वीकारात्मक। मेसर्स आर०वी० इलेक्ट्रिकल्स को 02 अदद क्रय आदेश क्रमशः- 1) क्रय आदेश संख्या 121 दिनांक 07.03.2019 द्वारा 300 अदद 63 के०भी०ए० वितरण ट्रांसफार्मर, केन्द्र प्रायोजित डी०डी०यू०जी०जे०वाई० (डी०भी०सी० चतरा) योजना हेतु निर्गत किया गया जिसकी कुल लागत रू० 2,53,75,782.00 (कर सहित) है। 300 अदद 63 के०भीए० वितरण ट्रांसफार्मर में से मेसर्स आर०वी० इलेक्ट्रिकल्स द्वारा 230 अदद वितरण ट्रांसफार्मर झा०बि०वि०नि०लि० के भंडार में उपलब्ध कराया गया है एवं 70 अदद अभी उपलब्ध कराना शेष है। इस संबंध में सूचित करना है कि : M/s R.V. Electrical का Gross 41,44,711/- एवं Net 38,18,654/– भुगतान कर दिया गया है तथा कुल Gross 20,30,062/– एवं Net 18,21,773/- का सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदित है एवं निधि के अभाव में भुगतान लम्बित है और उसका भुगतान निधि की उपलब्धता के उपरान्त कर दी जायेगी। पुनः यह भी सूचित करना है कि Gross 1,31,95,406.64 का विपत्र इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ है एवं इस पर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है तथा इसकी भी भुगतान निधि की उपलब्धता के उपरान्त कर दी जायेगी। 2) क्रय आदेश संख्या 120 दिनांक 07.03.2019 द्वारा 200 अदद 63 के०भी०ए० वितरण ट्रांसफार्मर वार्षिक विकास योजना के तहत निर्गत किया गया, जिसकी कुल लागत रू० 1,69,17,188.00 (कर सहित) है। 200 अदद 63 के०भी०ए० वितरण ट्रांसफार्मर में से मेसर्स आर०वी० इलेक्ट्रिकल्स द्वारा 199 अदद वितरण ट्रांसफार्मर झा०बि०वि०नि०लि० के भंडार में उपलब्ध कराया गया है एवं 01 अदद अभी उपलब्ध कराना शेष है। भुगतान के संबंध मे सूचित करना है कि संबंधित ऐजन्सी द्वारा ट्रांसफार्मर आपूर्ति के विरूद्ध माह जुलाई'2019, सितम्बर'2019 एवं नवम्बर'2019 माह में विपत्र समर्पित किये गये थे, जिनका भुगतान एजेन्सी को माह अगस्त 2019, अक्टूबर'2019 एवं दिसम्बर'2019 में क्रमशः किया जा चुका

	है जिसकी विवरणी निम्न है:-

ट्रांसफार्मर की संख्या	नेट भुगतान	चेक संख्या
60 अदद्	48,25,132.00	474610 दिनांक 06.08.2019
70 अदद्	55,26,984.00	477784 दिनांक 10.10.2019
69 अदद्	53,54,354.00	525483 दिनांक 10.12.2019

यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्यहित में उक्त इंडस्ट्रीज के बकाये का भुगतान अविलम्ब कराते हुए बैंक का ब्याज भी माफ कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्ड-02 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2004 / दिनांक 20/9/2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/20

सरकार के अवर सचिव

श्री दशरथ गागराई, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 22.09.2020 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 06 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

28

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि सरायकेला–खरसावां जिला के आमदा मौजा में 500 बेड वाले अस्पताल भवन का निर्माण कार्य 2012 में प्रारंभ हुआ था, परंतु अबतक पूर्ण नहीं हुआ है, जिससे इस महत्वाकांक्षी योजना के समय पर पूर्ण नहीं होने से ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार संवेदक NBCC (India) Limited के Project Manager (Civil) के पत्रांक Site/ hospital /kharsawan/ 2020/04 दिनांक 25.02.2020 द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया है कि दिसम्बर 2020 तक एकरारित मदों का कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा। वर्तमान में प्रबंधक, पी0आई0यू0 सरायकेला खरसावां द्वारा योजना के एकरारित मदों की प्रगति 85 प्रतिशत प्रतिवेदित की गई हैं मार्च 2020 से देश में वैश्विक महामारी फैलने के कारण निर्माण कार्य की गति प्रभावित हुई हैं। कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 41/20–684(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 21·9·2020
प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 1559/वि0स0, दिनांक– 15.09.2020 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/2020
अवर सचिव।

(89)

माननीय श्री अमित कुमार मंडल, स0वि0स0 द्वारा दिनांक-22.09.2020 को सदन में पूछ जाने वाला तारांकित प्रश्न स -03 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है, कि बीकारो ICMR डिस्चार्ज पॉलीसी के अनुसार COVID संक्रमित मरीज को 3 वर्गों में सरकारी COVID हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है:- (क) "mild/Very mild/Pre-Symptomatic Cases" (ख) "moderate Cases" (ग) "Severe Cases"	ICMR के द्वारा COVID संक्रमित मरीजों का वर्गीकरण निम्नलिखित किया गया है:- I. "mild/Very/Pre-Symptomatic Cases" II. "moderate Cases" III. "Severe Cases"
2. क्या यह बात सही है कि सरकार संक्रमित मरीजों के ईलाज हेतु आने वाले खर्च को वर्गवार निर्धारित किया है;	निजी अस्पतालों में अधिकतम शुल्क के संबंध में वर्गीकरण किया गया है।
3. क्या यह बात सही है कि 7 सितम्बर, 2020 तक झारखण्ड में कुल संक्रमित की संख्या-51,063 थी जिनमें 14,410 एक्टिव, 36,184 रिकवर्ड और 469 संक्रमितों की मौत हो गयी ;	स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड के विभिन्न जिलों में चल रहे कोविड हॉस्पीटल में संक्रमितों की संख्या और उनके ऊपर किये गये खर्च की राशि COVID-19 Patient Categoried in to different subgroups based on the severity of their cases बताना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	जिलों में कुल आवंटित उपलब्ध COVID-19 Response fund-3552.90 (लाख में) है। जिसका उपयोग कोविड संक्रमण से बचाव संबंधी अन्य कार्यों के साथ मरीजों के इलाज हेतु भी किया जा सकता है। इस के अतिरिक्त SDRF के अन्तर्गत भी विभिन्न जिलों को राशि उपलब्ध कराई गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:-21/वि0 स0-06-10/2020 - 33 (21) स्वा0/राँची/दिनांक:- 21-9-2020.

प्रतिलिपि:-उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 1558/वि0स0 दिनांक 15.09.2020 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.09.2020

सरकार के संयुक्त सचिव।

(30)

श्री लम्बोदर महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.09.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–01 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता श्री लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
क्या यह बात सही है कि बोकारो जिले के गोमिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कसमार, पेटरवार एवं गोमिया प्रखण्ड के दर्जनों गाँवों यथा कसमार प्रखण्ड के सुरजुडीह, घट्टी, मधुकरपुर पंचायत के सूईया टोला, मांझ टोला, मोरटंगवा, मधुकरपुर पंचायत के ही जम्हार, गर्री पंचायत के बनकनारी आदि गाँवों, गोमिया प्रखण्ड के गोमिया पंचायत के पड़रिया, मोदी टोला, लटकुट्टा (पासवान टोला), हजारी पंचायत के गेरवाडीह, खम्हरा पंचायत, धवैया पंचायत के गोपो (हरिजन टोला), तुलबुल पंचायत के प्रजापति टोला, महलीबाँध (रवानी टोला), हजारी (पटवा टोला), पलिहारी गुरूडीह के कांदु टोला से नाई टोला तक पेटरवार प्रखण्ड के कोह (महतो टोला), धाँरिद (लुकैया से जरधाटांड़ तक), चड़गी (एटके), ओरदाना (सरैयाटांड़ एवं स्कूल गली), अरजुवा (इरगुवा) आदि गाँवों मे तार, पोल एवं ट्रांसफार्मर की स्थिति जर्जर होने के कारण बिजली आपूर्ति व्यवस्था बाधित हो रही है तथा आये दिन दुर्घटना हो रही है जिससे जान-माल की क्षति हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त स्थानों पर जर्जर तार, पोल एवं ट्रांसफार्मरों को बदलना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	DDUGJY के तहत अनुमानित भार के अनुसार अतिरिक्त पोल, तार एवं ट्रांसफार्मर लगाया गया है एवं जर्जर तार को बदला गया है। शेष गाँव के टोले जहाँ का पोल, तार जर्जर है, को झारखण्ड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना (JSBAY) के तहत् सर्वेक्षण किया जा रहा है, इसे नवम्बर 2020 तक बदलने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1996 / दिनांक 20/9/2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/20

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार (31)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 22.09.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– खा०–01 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री अमित कुमार मण्डल,
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि बोकारो में कसमार प्रखण्ड के शंकरडीह गांव के दलित भूखल घासी की मौत मार्च–2020 ई० में भूखल के पुत्र नीतेश की मौत 6 मई 2020 को बेटी राखी की मौत 31 अगस्त 2020 एवं गोमिया के तिकहरा में आदिवासी दिव्यांग बच्ची मीणा मरांडी की मौत अप्रैल माह 2020 ई० में० तथा लातेहार जिला में मनिका प्रखण्ड के हेसातु गांव में पांच साल की निमानी की मौत 16 मई को भूख के कारण हो गयी है;	अस्वीकारात्मक। इस संबंध में उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक 1337/आ०, दिनांक 19.09.2020, पत्रांक 3305/गो०, दिनांक 04.09.2020 एवं पत्रांक 310/आ०, दिनांक 11.04.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उल्लेखित बच्चों की मौत भूख से न होकर बीमारी से हुई है। स्व० भूखल घासी के पुत्र नीतेश कुमार की मौत ईलाज के क्रम में सदर अस्पताल, बोकारो में हुई थी एवं बेटी राखी आनुवांशिक बीमारी से ग्रसित थी जो लगातार चिकित्सीय उपचार के उपरान्त वह स्वस्थ तो होती थी, परन्तु पुनः रोगग्रस्त हो जाती थी। इसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु दिनांक 31.08.2020 को हो गई। गोमिया के टिकहारा की दिव्यांग बच्ची मीना मराण्डी, पिता–श्री जीतन मरांडी बचपन से हाथ, पैर एवं मुंह से विकलांग थी, जो चल फिर नहीं सकती थी। मीना मरांडी बीमार थी और स्थानीय कंपाउण्डर की मदद से उसे कुछ दवाईयाँ खिलाई गई थी, किन्तु कोई लाभ नहीं हुआ और उसकी मृत्यु 06.04.2020 को हो गई। उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक 846/आ०, दिनांक 19.09.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मनिका प्रखण्ड के हेसातु गाँव की नेमानी उर्फ नेमनी कुमारी की मृत्यु भूख से नहीं अपितु निमोनिया रोग, फरका की बीमारी एवं संभवतः लू लगने से हुई थी।
(2) क्या यह बात सही है कि वर्णित लोगों की पोस्टमॉर्टेम 24 घंटे के अंदर होनी थी तथा जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक करनी थी, जो अबतक जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक 3431, दिनांक 15.10.2018 के माध्यम से तथाकथित भूख से मृत्यु के मामलों में की जाने वाली कार्रवाई के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार भूख से तथाकथित मृत्यु की सूचना मिलने के चौबीस घण्टे के अन्दर संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा संयुक्त जाँच दल गठित करते हुए जाँच कराने एवं तीन दिनों के अन्दर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य सहित राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाना निर्देशित है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार भूखमरी से हो रही मौतों को रोकने के लिए वैसे सभी परिवारों को लाल कार्ड मुहैया कराने जिसका नाम बी०पी०एल० सूची में छूट गया है जोड़ना चाहती है ताकि किसी गरीब परिवार की मौत भूख से नहीं हो सके हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में राज्य में **"राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013"** के तहत 2,60,66,276 लाभुक आच्छादित हैं जो कि राज्य के कुल जनसंख्या का 79.01% है। राज्य में **"झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना"** 15 नवम्बर, 2020 से लागू किया जाना है जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित 15 (पन्द्रह) लाख सुपात्र लाभुकों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा।

ह0/–
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 06/विधान सभा–31/2020– 2465 /राँची, दिनांक 21.09.20

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या– 1523/वि०स०, दिनांक 15.09.2020 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/09/20
सरकार के अवर सचिव।

(32)

श्री विनोद कुमार सिंह, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 22.09.2020 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 01 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के सरिया प्रखण्ड में प्रा0स्वा0 केन्द्र सरिया एवं प्रा0स्वा0 केन्द्र केशवारी की भवन निर्माण अधूरा पड़ा है ;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,सरिया का निर्माण कार्य उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा चयनित कार्य एजेन्सी ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, गिरिडीह के द्वारा कराया जा रहा था। योजना को पूर्ण कराने हेतु विभाग द्वारा योजना को लंबित रखने के दोषी अभियंताओं को चिन्हित करते हुए प्रतिवेदन की मांग उपायुक्त, गिरिडीह से की गई थी। उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है साथ ही पूर्व में उपलब्ध कराये गए पुनरीक्षित प्राक्कलन को अद्यतन अनुसूचित दर पर संशोधनोपरांत कार्य को पूर्ण कराने के अनुमति की अपेक्षा की गई है। अद्यतन अनुसूचित दर पर प्राक्कलन प्राप्त कर योजना को पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केशवारी का भवन निर्माण कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, राँची के माध्यम से कराया जा रहा है । निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि योजना कार्य 60 प्रतिशत पूर्ण है । योजना को ससमय पूर्ण नहीं करने के कारण संवेदक को डिबार कर दिया गया है । साथ ही, काली सूची में डालने हेतु चेतावनी दी गई है । इसके बावजूद उनके द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है । अन्तिम स्मार देने के बाद एकरारनामा बन्दकर अवशेष कार्य को निविदा के माध्यम से कार्य पूर्ण कराने की कार्रवाई की जाएगी ।
2. क्या यह बात सही है कि भवन के आभाव में मरीजों व स्वास्थ्यकर्मियों को परेशानी होती है ;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह कि सरिया प्रखण्ड में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्य केन्द्र में 3 चिकित्सक, 1 प्रयोगशाला प्रोवैधिक, 1 फार्मोसिस्ट, 1 पुरूष वार्ड अटेन्डेन्ट, 2 ए0एन0एम0, 3 एम0एस0डब्लू एवं 1 एम्बुलेन्स चालक के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। केशवारी में स्वास्थ्य उपकेन्द्र संचालित है, जहाँ पर 2 ए0एन0एम0 एवं 1 पाछक के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराइ जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त प्रा0स्वा0 केन्द्र की भवन निर्माण पूर्ण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका 1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी०वि०स० (ता०)– 43/20– 681(6) स्वा०, राँची, दिनांक: 21·9·2020

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०– 1539/वि०स०, दिनांक– 15.09.2020 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/2020
अवर सचिव।

(33)

श्री कमलेश कुमार सिंह, स० वि० स० द्वारा दिनांक 22.09.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–01

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क०स०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अंतर्गत पत्थर खनन के विभिन्न लीजधारकों के द्वारा खनन के मानदंड के विरूद्ध लीज क्षेत्र से बाहर अवैध उत्खनन एवं ओवरलोडिंग परिवहन किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु प्रत्येक जिला में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स गठित है। पत्थर खनिज के अवैध खनन एवं ओवरलोडिंग परिवहन पकड़े जाने पर आर्थिक दण्ड के साथ–साथ वाहनों के Commercial Registration निलंबित करने संबंधी कार्रवाई की जाती है।
2-	क्या यह बात सही है कि अवैध उत्खनन से जहाँ प्राकृतिक संपदा पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है, वहीं ओवरलोडिंग परिवहन से सड़क क्षतिग्रस्त होकर आए दिन दुर्घटनाएं घट रही है एवं जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है;	अस्वीकारात्मक। जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक एवं विभिन्न स्रोतों के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समय–समय पर अवैध खनन/परिवहन/ भंडारण की जाँच कर कार्रवाई किया जाता रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में अगस्त, 2020 तक की गई कार्रवाई की विवरणी निम्नवत् है:–

माह	अभियुक्तों की संख्या	जब्त वाहनों की संख्या	प्राथमिकी दर्ज की संख्या	ध्वस्त क्रशरों की संख्या	वसूली गई जुर्माना की राशि
अप्रैल, 2020 से जून, 2020 तक	182	64	24	13क्रशर ध्वस्त	3.78 लाख
जुलाई, 2020 से अगस्त, 2020 तक	44	30	07	02 क्रशर ध्वस्त	2.59 लाख

3-	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अंतर्गत छतरपुर–हरिहरगंज पथ पर एन0एच0–98 के किनारे कई पत्थर क्रशर प्लांट स्थापित किए गए है, जो मानदंड के अनुरूप नहीं है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची द्वारा Consent to Operate (CTO) निर्गत होने के उपरांत ही खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा भण्डारण अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाता है। इस संबंध में झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची के पदाधिकारियों द्वारा समय–समय पर निरीक्षण भी किया जाता है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वैसे लीजधारनक जो मानदंड के विरूद्ध खनन व ओवरलोडिंग परिवहन कार्य कर रहे है तथा पत्थर क्रशर प्लांट संचालित किया जा रहा है उनके विरूद्ध नियम संगत कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(ता०)–64/2020 1173 /एम0, राँची, दिनांक– 19.9.2020

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–1532 दिनांक–15.09.2020 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

(34)

श्री कोचे मुण्डा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.09.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०-02 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री कोचे मुण्डा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
क्या यह बात सही है कि खूँटी जिला के उपभोक्ताओं को सेन्ट्रल स्टोर एवं TRW (Transformer Repairing Work) के लिए राँची जाना पड़ता है;	स्वीकारात्मक है।
क्या यह बात सही है कि ऊर्जा विभाग द्वारा खूँटी जिला के मौजा चिरूडातु में खण्ड-1 में वर्णित कार्य के लिए भूमि चिन्हित किया गया है;	स्वीकारात्मक है।
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खूँटी जिला के उपभोक्ताओं के लिए सेन्ट्रल स्टोर एवं TRW खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	खूँटी जिला में सेन्ट्रल स्टोर/टी०आर०डब्ल्यू० को मई 2021 से खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2001 /   दिनांक 20/9/2020

प्रतिलिपि— अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/20

सरकार के अवर सचिव

35

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री समीर कुमार मोहन्ती, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शि-02

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2005 में शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण सुधार हेतु बी.आर.पी./सी.आर.पी. की बहाली की गयी थी;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि ये बी.आर.पी./सी.आर.पी. खुद नहीं जानते है कि वे परियोजना या सरकारी वर्ग के कर्मी है;	वस्तुस्थिति यह है कि बी.आर.पी./सी.आर.पी. अच्छी तरह अवगत है कि उनका चयन सर्वप्रथम सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ है, जो वर्ष 2018–19 में समाप्त हो गया। वर्ष 2018–19 से समग्र शिक्षा प्रारंभ किया गया, जिसमें भी इनकी सेवा ली जा रही है। उपर्युक्त दोनों ही कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय (मानव संसाधन विकास मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा वित्त–पोषित है। बी.आर.पी./सी.आर.पी. समग्र शिक्षा के कार्यक्रम विशेष अंतर्गत प्रखण्ड संसाधन केन्द्र एवं संकुल साधन संसाधन केन्द्र में कार्यरत है।
3.	क्या यह बात सही है कि उन्हें खण्ड–2 में वर्णित दोनों में से किसी भी वर्ग के लिए तय सुविधाएँ नहीं दी जाती है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थित यह है कि विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रखण्ड स्तर पर बी. आर.पी. एवं संकुल स्तर पर सी.आर.पी. के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानदेय एवं अनुश्रवण भत्ता उपलब्ध कराया जाता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बी.आर. पी./सी.आर.पी. को खण्ड–2 में वर्णित वर्गों में से किसी एक वर्ग में वर्गीकृत कर उक्त वर्ग के लिए तय मानदेय एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	खण्ड–2 में वर्णित वर्गों में से किसी भी वर्ग की सुविधाएँ देने का प्रावधान नहीं है। प्रखण्ड साधन सेवी/संकुल साधन सेवी को समग्र शिक्षा कार्यक्रम विशेष के अंतर्गत प्रखण्ड संसाधन केन्द्र एवं संकुल संसाधन केन्द्र हेतु प्रावधानित सुविधा ही दी जा सकती है। अतः वर्तमान में उन्हें खण्ड–2 की कोई सुविधाएँ देने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः वर्तमान में इन्हें खण्ड–2 में वर्णित किसी भी वर्ग की सुविधाएँ प्रदान करने का विचार नहीं किया जा सकता है।

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 1150 / राँची, दिनांक 21.9. 2020

प्रतिलिपिः उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1530, दिनांक 15.09.2020 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.09.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा–06 का प्रश्नोत्तर :–

36

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
	श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स०वि०स०	**माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिले के श्री बंशीधर अनुमण्डल के सभी किसान वर्ष 2015–16 तक जमीन का सरकारी रसीद कटा चुके है ;	आंशिक स्वीकारात्मक ।
2	क्या यह बात सही है कि नये सर्वे डिमाण्ड ऑन–आईन हुआ है तब से किसान रसीद कटवाने जाते है तो प्रज्ञा केन्द्र वाले वर्ष–1965 से रसीद का पैसा ले रहे है ;	इस प्रकार का मामला संज्ञान में नहीं आया है । संज्ञान में आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बेवसाईट में सुधार करने तथा लगान 2015–16 के बाद से लेने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	ऑन–लाईन लगान से संबधित बेवसाईट में त्रुटि आने पर एन.आई.सी. के माध्यम से समय–समय पर बेवसाईट मे त्रुटि सुधार की जाती है । यह एक सतत प्रकिया है, जो की जा रही है तथा आगे भी जायेगी ।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–01 / निदे०अभि० वि०स० (तारांकित)–20 / 2020 230 / नि०रा०, राँची, दिनांक 21-9-2020

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप संख्या–1554 / वि०स०, दिनांक–15.09.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 प्रति (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा० मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/2020
सरकार के अवर सचिव।

D:\Vidhanshabha Question.docx 111 (N.P)

(37)

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीया स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.09.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख–02 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि बड़कागाँव विधान–सभा क्षेत्र में एन०टी०पी०सी० तथा अन्य कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहित कर खनन का कार्य किया जा रहा है।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि अधिग्रहित भूमि के विस्थापित रैयतों को अबतक मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे विस्थापितों को घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।	उक्त परियोजना में खनन हेतु C.B.Act, 1957 के तहत भू–अर्जन की कार्रवाई एवं मुआवजा भुगतान सक्षम प्राधिकार के द्वारा किया जाता है। प्रश्नगत् मामले में मुआवजा का भुगतान प्रक्रियाधीन हैं।
3.	क्या यह बात सही है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 का अनुपालन झारखण्ड सरकार द्वारा किया जाना है;	झारखण्ड सरकार द्वारा भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 का अनुपालन किया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 को लागू करने एवं विस्थापन आयोग का गठन कर विस्थापित रैयतों के मुआवजा भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। C.B.A Act, 1957 के अंतर्गत भू–अर्जन की सभी कार्रवाई कोल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत निष्पादित की जाती है। इस विषय में समुचित मुआवजा, पुनर्वास आदि के समुचित भुगतान हेतु नियमानुसार कार्रवाई के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार तथा भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भी विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–8बी०/भू०अ०नि० (वि०स०) तारां० –107/2020-366/8बी०नि०रा० दिनांक–21-9-2020

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–1534/वि०स०, दिनांक15.09.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/विभागीय मंत्री कोषांग एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/2020

सरकार के उप सचिव

38

1506
21/09/2020

श्री रामचन्द्र सिंह, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 22.09.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि–01

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अन्तर्गत बरवाडीह प्रखण्ड के ग्राम डोरामी में मॉडल विद्यालय निर्माण की स्वीकृति 3 वर्ष पूर्व प्रदान की गई है, भवन निर्माण हेतु स्वीकृति के पश्चात् निविदा तुरंत कर दिया गया था,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि संवदेक द्वारा निविदा के 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी भवन निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला में इसके साथ अन्य स्वीकृत मॉडल विद्यालय यथा लातेहार, बालूमाथ में भवन निर्माण कार्य पूर्ण कर पठन–पाठन कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है;	स्वीकारात्मक।
4	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला का बरवाडीह प्रखण्ड अनु0 जाति, अनु0ज0जाति बहुल एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से अत्यंत पिछड़ा प्रखण्ड है, विद्यालय का पठन–पाठन का कार्य भवन निर्माण के कारण बाधित है,	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्तमान में मॉडल विद्यालय, बरवाडीह वैकल्पिक स्थल खुरा में संचालित है, जहाँ पठन–पाठन का कार्य किया जा रहा है। विद्यालय का UDISE Code-20220508603 है तथा विद्यालय में कुल–130 बच्चे नामांकित हैं।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संवेदक पर कार्रवाई करते हुए भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कराकर जल्द से जल्द पठन–पाठन का कार्य चालू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में कुल–89 मॉडल विद्यालय स्वीकृत है। प्रारंभ में इनकी स्वीकृति वर्ष 2014–15 में केन्द्रीय योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा की गई थी। दिनांक 01.04.2015 के प्रभाव से भारत सरकार द्वारा इस योजना को बंद करने की सूचना देते हुए राज्यों को हस्तांतरित कर दिया गया। प्रश्नगत मॉडल विद्यालय, बरवाडीह के भवन निर्माण कार्य में संलग्न संवेदक को दिनांक 28.02.2015 को कार्य आवंटित किया गया था, परन्तु चयनित स्थल भवन निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं होने के कारण इसे परिवर्तित करना पड़ा। पुनः उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक–05 दिनांक 30.05.2016 द्वारा भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करायी गयी। फलतः मॉडल विद्यालय, बरवाडीह के भवन निर्माण में विलंब हुआ। दिनांक 14.06.2016 को राज्य सरकार द्वारा इस योजना को राज्य योजना के तहत् स्वीकृत किया गया तथा राज्य योजना से राशि की स्वीकृति होने के उपरांत दिनांक 06.08.2018 से भवन निर्माण का कार्य पुनः प्रारंभ किया गया। वर्तमान में मॉडल विद्यालय, बरवाडीह के भवन निर्माण कार्य की भौतिक स्थिति प्रथम तल लिंटल स्तर तक का है। निर्माण कार्य दिनांक 31.03.2021 तक पूर्ण करा लेने का लक्ष्य रखा गया है।

21.9.2020

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.1–73 / 2020 1506 राँची, दिनांक 21/09/2020

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–1555 दिनांक 15.09.2020 के आलोक में अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.9.2020

सरकार के संयुक्त सचिव।

(39)

श्री किशुन कुमार दास, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.09.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–06 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता श्री किशुन कुमार दास, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
क्या यह बात सही है कि चतरा जिला अन्तर्गत टण्डवा में एन०टी०पी०सी० की स्थापना वर्ष 1998–99 में की गयी थी जिसके कारण हजारो किसानों की हजारों एकड़ भूमि का अधिग्रहण प्रबंधन द्वारा किया गया है ;	एन०टी०पी०सी० लि० टण्डवा, चतरा द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि एन०टी०पी०सी०, नार्थ करणपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्थापना के लिए 2166.11 एकड़ भूमि का अधिगृहण चतरा जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। अभी तक सम्पूर्ण जमीन का सत्यापन नही होने के कारण भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा नहीं हो पाया है।
क्या यह बात सही है कि सरकारी प्रावधानानुसार अधिगृहित जमीन की कीमत का चार गुणा किसानों को मुआवजा और एक नौकरी दिये जाने का प्रावधान है परन्तु प्रबंधन द्वारा न तो सही ढ़ग से किसानों को मुआवजा दिया है और ना ही नौकरी जिससे किसानों में भारी आक्रोश उत्पन्न हो रहा है ;	एन०टी०पी०सी० द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में यह उल्लेखित है कि अधिगृहित जमीन के लिए नौकरी का कोई वादा नहीं किया गया था एवं त्रिपक्षीय समझौता दिनांक-04.12.2013 के अनुसार (जिला प्रशासन चतरा, एन०टी०पी०सी० नार्थ करणपुरा एवं ग्राम विकास सलाहकार समिति) 15 लाख प्रति एकड़ का मुआवजा भुगतान किये जाने का समझौता हुआ था। गैरमजरुवा जमीन का पूरा भुगतान जिला प्रशासन के द्वारा सत्यापन नहीं होने के कारण नहीं हो पाया है।
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संबंधित किसान को मुआवजा एवं नौकरी देना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2003 / दिनांक 20/9/2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/20
सरकार के अवर सचिव

(40)

श्री दशरथ गागराई, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.09.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–01

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि खरसावां में सिल्क पार्क निर्माण हेतु चहारदिवारी का निर्माण किया जा चुका है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि चहारदिवारी निर्माण के बाद सिल्क पार्क निर्माण का कार्य रुक गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि सिल्क पार्क के निर्माण से काफी संख्या में लोगों को रोजगार प्राप्त होगा है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खरसावां में सिल्क पार्क बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	दिनांक–28.04.2016 को ASIDE योजना के संबंध में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची के अध्यक्षता में लिए गए निर्णयानुसार भारत सरकार द्वारा ASIDE योजना बंद कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में सिल्क पार्क खरसावां को बंद करने तथा इस योजना हेतु अधिग्रहित भूमि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए सुरक्षित रखने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–40/2020 819 राँची, दिनांक– 19/09/2020

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1525 दिनांक–15.09.2020 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

(41)

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-22.09.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-01का प्रश्नोत्तर-

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभागः-

क्र0	क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	
1.	क्या यह बात सही है कि हुसैनाबाद-हरिहरगंज विधान-सभा क्षेत्र के हुसैनाबाद, हैदरनगर, मोहम्मदगंज, हरिहरगंज व पिपरा प्रखण्ड के 18456 किसानों सहित संपूर्ण पलामू जिले के 74946 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत वर्ष-2018 में अगहनी एवं भदई फसल का बीमा कराया था ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित फसल बीमा की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान पलामू जिले के किसी भी किसान को दिनांक-31.08.2020 तक नहीं किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार संपूर्ण पलामू जिले के किसानों को वर्ष-2018 के फसल बीमा की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इंश्योरेंस कंपनी को निदेशित किया जा रहा है कि पहले वे किसानों के अनुमान्य दावा (Admissible Claim) का भुगतान करे, जिसके पश्चात् राशि उन्हें उपलब्ध करायी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा नई योजना **"झारखण्ड राज्य किसान राहत कोष हेतु अनुदान"** संचालित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना अन्तर्गत प्रतिकूल मौसम के कारण किसानों के फसलों की ह्रास की स्थिति में उचित मुआवजा/क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।

ह0/-
(चन्द्रभूषण)
सरकार के अवर सचिव।

1298
18.09.2020

कृ0यू030

C:\Users\Public\... Question 2020.docx

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक–07/PMFBY (विधान सभा)–19/2020 सह0 1298 /राँची, दिनांक– 18·09·2020

प्रतिलिपि:–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं0प्र0–1535/वि0स0 दिनांक–15.09.2020 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.09.2020

सरकार के अवर सचिव।

(42)

श्री रामचन्द्र सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.09.2020 को पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–01 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू किला राज्य का दार्शनिक धरोहर है जहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक सालों भर आते है जो अत्यन्त ही जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त किला की मरम्मति हेतु पुरातत्व विभाग को वन विभाग द्वारा अनापत्ति पत्र के साथ 6 करोड़ की राशि आवंटित की जा चुकी है;	2.	स्वीकारात्मक 13 वे वित्त आयोग की प्राप्त राशि से पलामू किला के संरक्षण का कार्य विचाराधीन है। वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा संरक्षण कार्य हेतु अनापत्ति पलामू किला (नया), रकबा 0.71 एकड़ के लिए प्राप्त है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पलामू किले की संरचना का जिर्णोद्धार करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	डी०पी०आर० तैयार की गई है, अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्य०/वि०स०/59/2020 907 /राँची, दिनांक 21-09-2020

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1526/वि०स०, दिनांक–15/09/2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/09/2020

सरकार के संयुक्त सचिव

(43)

डॉ इरफान अंसारी, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.09.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–04 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	डॉ इरफान अंसारी, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि संथाल परगना के जामताड़ा जिला, पाकुड़ जिला एवं आंशिक रूप से दुमका जिला में सर्वे सेटलमेन्ट नहीं होने से लगभग 80 प्रतिशत जमीन संबंधी मुकदमें दर्ज हो रहे है, जिससे भू–स्वामी एवं किसान परेशान है;		इस जिला में 1932 गैंजर सर्वे के बाद हाल सर्वे की कार्रवाई चल रहा है। 1932 ई0 के बाद सेटलमेन्ट के आधार पर ही भूमि संबंधी वादों /विवादों का निपटारा किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त तीनों जिलों में भू–माफियाओं का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है;		इस विषय पर किसी प्रकार की जानकारी संज्ञान में नहीं है। संज्ञान में आने पर कार्रवाई की जावेगी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार एक समय सीमा निर्धारित कर उक्त जिलों में सर्वे सेटलमेन्ट का कार्य का शीघ्र कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?		कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक:–02 / भू0अ0प0नि0 वि0स0 (तारां0)–18 / 2020 – 231 (2) / रा0 दिनांक–21.9.2020

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–1552 / वि0स0, दिनांक–15.09.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय / विभागीय मंत्री कोषांग एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/2020
सरकार के उप सचिव

(44)

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.09.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–मस0–01 का उत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि विभागीय ज्ञापांक–2126, दिनांक–11.09.2015 संकल्प ज्ञापांक–2620, दिनांक–03.12.2015 द्वारा समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत राज्य के जिलों में ग्राम सभा व प्रखण्ड स्तरीय चयन समिति द्वारा आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण सखियों की नियुक्ति की गई है;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प–2126 दिनांक–21.09.2015 एवं संकल्प ज्ञापांक– 2620, दिनांक–03.12.2015 द्वारा राज्य के मात्र 06 जिलों यथा धनबाद, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, दुमका एवं गोड्डा में पोषण सखी का चयन किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत पोषण सखियां प्रतिदिन क्षेत्रों में भ्रमण कर गर्भवती महिलाओं, धात्री माता, किशोरी बालिकाओं, कुपोषित बच्चों की ए0एन0एम0 के समन्वय टिकाकरण, स्वच्छता संबंधी देख–रेख बच्चों के लिए खाना बनाना तथा B.L.O. के सर्वेक्षण कार्यों में सहयोग करती है, परन्तु मात्र 3000/– तीन हजार रुपया मानदेय दिया जा रहा है जिससे अपने परिवार का भरण–पोषण में असमर्थ रहती है ;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। पोषण सखी के कार्य एवं दायित्व निम्नवत् है:– 1. सर्वेक्षण संबंधी कार्य 2. पोषण संबंधी कार्य 3. टीकाकरण संबंधी कार्य 4. 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों को Early childhood care के बारे में बताना। 5. सामुदायिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्य 6. स्वास्थ्य जाँच एवं वजन वृद्धि माप संबंधी कार्य 7. समेकित रुप से किये जाने वाले कार्य क) अल्पकुपोषित एवं गंभीर रुप से कुपोषित बच्चों की पहचान करना। ख) 0–03 वर्ष के बच्चों का वजन सेविका की सहायता से आँगनवाड़ी केन्द्र में मापना एवं सूची तैयार करना। ग) 03 वर्ष तक के बच्चों की वृद्धि निगरानी एवं अनुश्रवण करना। घ) शिशु के जन्म के पश्चात् यथा शीघ्र वजन सुनिश्चित करवाना। ङ) चिन्हित गंभीर रुप से कुपोषित बच्चों को MTC भेजना। पोषण सखी को भुगतेय मानदेय राशि रु0 3000/– प्रतिमाह का निर्धारण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–1-8/2012-CD-I, दिनांक–22.10.2012 द्वारा निर्गत मार्ग–निर्देश के आलोक में निर्गत विभागीय संकल्प–2126 दिनांक–21.09.2015 द्वारा किया गया है, जिसके आधार पर पोषण सखी को 3000/– रुपया प्रतिमाह मानेदय का भुगतान किया जाता है।

3	क्या यह बात सही है कि मानदेय वृद्धि सेविका के लिए नियमावली, जीवन बीमा का लाभ, शिक्षा एवं योग्यता के आधार पर पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति, अतिरिक्त सेविका ड्रेस कोड के लाभ से वंचित है ;	स्वीकारात्मक। पोषण सखी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–1-8/2012-CD-I, दिनांक–22.10.2012 द्वारा निर्गत मार्ग–निर्देश के आलोक में निर्गत विभागीय संकल्प–2126 दिनांक–21.09.2015 द्वारा प्रावधानित सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाता है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–3 में वर्णित लाभ पोषण सखियों को मानदेय में वृद्धि करने, ड्रेस कोड अतिरिक्त सेविकाओं को देने का विचार रखती है, हां तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, पुर्व, राँची – 834 004

ज्ञापांक–03 / म० स० / वि० स० / तारांकित प्रश्न–180 / 2020– 1119 राँची, दिनांक :21-09-2020

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–1531 / वि०स० दिनांक–15.09.2020 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21.09.20

(अरशद जमाल)
सरकार के अवर सचिव

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक-22.09.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0-कृष-05 का प्रश्नोत्तर। (45)

प्रश्नकर्ता-श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स0वि0स0 | उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के सभी जिलों में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) कार्यालय कार्यरत है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि कृषि विभाग द्वारा दिये गये सभी कार्यों को आत्माकर्मियों के द्वारा सम्पादित किया जाता है;	आत्माकर्मियों के द्वारा आत्मा मार्गदर्शिका तथा उनके द्वारा किये गये एकरारनामा के अनुरूप कार्य का सम्पादन किया जाता है। समय-समय पर आवश्यकतानुसार आंशिक रूप से कृषि प्रभाग द्वारा निर्देशित कार्यों को भी सम्पादित किया जाता है।
3	क्या यह बात सही है कि कृषि विभाग में सभी स्तर के पद बहुत दिनों से रिक्त है;	कृषि विभागान्तर्गत आत्मा के विभिन्न पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। झारखण्ड कृषि सेवा वर्ग-2 एवं कृषि अधीनस्थ सेवा के विभिन्न कोटियों में रिक्ति के विरूद्ध नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेजी गयी है।
4	यदि उपर्युक्त सभी खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी आत्मा कर्मियों को वर्ष-2015 के नियमितीकरण नियमावली के तहत नियमित करने या कृषि विभाग में रिक्त पड़े पद पर समायोजन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति उपर्युक्त तालिका में स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-04/वि0स0मा0-22/2020 1677 /रा0, राँची, दिनांक- 19.09.2020

प्रतिलिपि:- उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-1537 दिनांक-15.09.2020 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.09.2020
(गुलाम सरवर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-04/वि0स0मा0-22/2020 1677 /रा0, राँची, दिनांक- 19.09.2020

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं विधायी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री को अपर सचिव/सचिव के प्रधान अपर सचिव/अपर सचिव, प्रभारीय प्रशाखा-9, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/जोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.09.2020
सरकार के अवर सचिव।

(46)

श्री नारायण दास, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.09.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० कृष–04 का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता		उत्तरदाता
श्री नारायण दास, माननीय सदस्य विधान सभा		श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची
क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा झारखण्ड राज्य में 'मुख्यमंत्री परियोजनान्तर्गत झारखण्ड गव्य विकास एवं संरक्षण योजना' के तहत अनुदान पर ग्रामीणों को एक यूनिट गाय उपलब्ध करायी जा रही है;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड सरकार गव्य विकास द्वारा ऐसी कोई योजना का कियान्वयन नहीं किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित योजना के नाम पर झारखण्ड के कुल जिलों में एक फर्जी संस्था द्वारा ग्रामीणों को एक यूनिट गाय दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी की गयी, जो दैनिक समाचार पत्र 'प्रभात खबर' दिनांक 30.07.2020 के देवघर संकलन में प्रकाशित की गयी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुतः जिला गव्य विकास पदाधिकारी, देवघर द्वारा ऐसे किसी फर्जी संस्थानों से आमजनों को बचाने (सावधान करने) के उद्देश्य से दैनिक समाचार पत्र (प्रभात खबर) के दिनांक 29.07.2020 के देवघर संकलन में "आमसूचना" के रूप में सूचना प्रकाशित करायी गयी थी।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त संदर्भ में देवघर जिला के ग्रामीणों को फर्जी पावती रशीद के माध्यम से 270 रू० से लेकर 300 रू० तक वसूली की जा रही है, तथा जिला प्रशासन, देवघर द्वारा आज तक अद्यतन कोई कार्रवाई नहीं की गयी है;	अस्वीकारात्मक। उक्त के संदर्भ में लिखित शिकायत अप्राप्त है। जिला गव्य विकास कार्यालय, देवघर के पत्रांक / ज्ञापांक 3004 दिनांक 29.07.2020 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, देवघर को इस संबंध में सभी थानों को उचित कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस संबंध में उपायुक्त, देवघर को भी सूचना दी गई है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित योजना की जाँच कर इसमें संलिप्त संस्था या व्यक्तियों पर अविलम्ब विधि–सम्मत कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्णित "योजना" के नहीं होने से योजना की जाँच का प्रश्न नहीं है। संबधित संलिप्त संस्था आदि के संबंध में पुलिस अधीक्षक देवघर को सूचना दी गई है तथा सभी थाना को इस संबंध में निदेश देने का भी अनुरोध किया गया है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक :– 6/वि०स०/ता०/31/2020 प०पा० 891 दिनांक 19.09.2020
प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्र संख्या–1536/वि०स० दिनांक 15.09.2020 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को एक प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/09/20
सरकार के अवर सचिव

(47)

श्री इन्द्रजीत महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.09.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–07 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्ता श्री इन्द्रजीत महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
क्या यह बात सही है कि सिन्दरी विधान सभा क्षेत्र में जर्जर बिजली तार एवं विभागीय/क्षेत्रीय पदाधिकारियों के लापरवाही के कारण विद्युत व्यवस्था काफी लचर है जिससे आमजनों को विद्युत आपूर्ति में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में जर्जर बिजली तार को बदलने एवं विद्युत व्यवस्था के साथ ही संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	सिंदरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जर्जर बिजली के तार के सुदृढ़िकरण का कार्य JSBAY एवं IPDS योजना के तहत् कार्य किया जा रहा है। पूर्व में IPDS का कार्य M/s IL&FS कंपनी को दिया गया था। परंतु M/s IL&FS द्वारा संतोषप्रद कार्य नहीं किये जाने के कारण कार्यादेश को रद्द करते हुए वह कार्य पुनः निविदा उपरांत M/d SGIPL से कराया जा रहा है, जिसे माह दिसम्बर 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1999 / दिनांक 20/9/2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/20

सरकार के अवर सचिव

D:\Vidhan Sabha (Question & Answer)\Budget 2020\Mansoon\Question Answer.docx 6

48

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.09.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–04 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री मनीष जायसवाल, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
क्या यह बात सही है कि हजारीबाग में झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि० द्वारा संचालित ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप (TRW) स्थापित है जहाँ उक्त जिला के जले एवं खराब ट्रांसफार्मरों का मरम्मति कार्य होता है;	स्वीकारात्मक।
क्या यह बात सही है कि खण्ड-01 में वर्णित वर्कशॉप में जले हुए ट्रांसफार्मर के रख-रखाव एवं मरम्मति कार्य से जुड़े सामग्रियों की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आये दिन खराब/ जले ट्रांसफार्मरों की मरम्मति में लम्बे समय लगने के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। कोविड-19 महामारी जैसे अवधि में भी कार्यदिवस में टी०आर०डब्ल्यू०, हजारीबाग से लगातार जले ट्रांसफार्मर के बदले मरम्मत किया हुआ ट्रांसफार्मर निर्गत किये जाते रहे हैं। कोविड-19 के चलते ट्रांसफार्मर मरम्मति हेतु सामान की आंशिक उपलब्धता के कारण मरम्मति का कार्य धीमा हो रहा है।
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में हजारीबाग के ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में तत्काल प्रभाव से सभी जले एवं खराब ट्रांसफार्मरों के रख-रखाव के साथ-साथ उसके मरम्मति कार्य से जुड़े समस्याओं का निदान सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	शीघ्र ही ट्रांसफार्मर मरम्मति का सामान उपलब्ध करा दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1997 / दिनांक 20/9/2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/20

सरकार के अवर सचिव

(49)

पंचम झारखण्ड विधान सभा का तृतीय (मॉनसून) सत्र में दिनांक 22.09.2020 को डॉ0 सरफराज अहमद, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 उत–01 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत गाण्डेय प्रखंड में वर्षों पूर्व महिला पोलिटेकनिक भवन का निर्माण कराया गया था;	– अस्वीकारात्मक – गिरिडीह जिला के गाण्डेय प्रखंड में महिला पोलिटेकनिक का निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त भवन का आजतक उद्घाटन नहीं होने के कारण पठन–पाठन का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है;	– अस्वीकारात्मक
3. क्या यह बात सही है कि उक्त भवन में अन्य कार्य कराया जाता है;	– अस्वीकारात्मक
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त महिला पोलिटेकनिक में पठन–पाठन का कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	– अस्वीकारात्मक

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
नेपालहाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक– HTESDsec1/विधान सभा-28/2020/HTESD 1547 /राँची, दिनांक– 21.09.2020

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1529 दिनांक 15.09.2020 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/09/2020.

(सरकार के अवर–सचिव)

(50)

डॉ० सरफराज अहमद, मा०स० वि० स० द्वारा दिनांक 22.09.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स०–स 05 का उत्तर सामग्री।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह प्रखण्ड के रानीखावा पंचायत में आयुर्वेदिक कॉलेज के भवन का निर्माण कराया गया था?	गिरिडीह प्रखण्ड के रानीखावा पंचायत में राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त आयुर्वेदिक कॉलेज में आजतक पठन पाठन का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है?	गिरिडीह प्रखण्ड के रानीखावा पंचायत में राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में अभी पठन–पाठन का कार्य प्रारंम्भ नहीं किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उक्त कॉलेज में पठन पाठन का कार्य प्रारम्भ करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड आयुष चिकित्सा शैक्षणिक नियमावली प्रक्रियाधीन है। उक्त नियमावली के गठन के पश्चात शैक्षणिक संवर्ग पर नियुक्ति की कार्रवाई एवं तदनुसार पठन–पाठन प्रारंम्भ करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं०– 20/आयुष–वि०स०–06/2020 123(20) रॉंची, दिनांक: 21.09.2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, रॉंची को उनके ज्ञापांक सं०–1541/वि०स० दिनांक 15.09.2020 के क्रम में उत्तर सामग्री की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.9.2020

सरकार के उप सचिव।

श्री कोचे मुण्डा, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 22.09.2020 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 02 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन (51)

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि खूँटी जिला के रनियाँ प्रखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रनियाँ का समुचित भवन तथा स्वास्थ्य कर्मियों/डॉक्टरों के लिए सरकारी आवास बन जाने से रनियाँ के आम नागरिकों को समुचित स्वास्थ्य सुविधा मिल पायेगा ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि रनियाँ प्रखण्ड में स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में गरीब मरीजों को लंबी दूरी तय कर सदर अस्पताल, खूँटी या राँची जाने को विवश होना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रनियाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पुराने भवन में संचालित है जहाँ 04 चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित है तथा प्रखण्ड अन्तर्गत 10 स्वास्थ्य उपकेन्द्र संचालित है जिसके माध्यम से प्रखण्ड के मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खूँटी जिला के रनियाँ प्रखण्ड में अविलम्ब समुचित भवन तथा स्वास्थ्य कर्मियों/डॉक्टरों के लिए सरकारी आवास बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रनिया के भवन निर्माण का कार्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से भारत सरकार से प्राप्त राशि से कराया जा रहा था। यह योजना उपायुक्त द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से विभागीय रूप से कराया जा रहा था। वर्तमान में योजना कार्य स्थगित है। योजना कार्य को अधूरा रखने के लिए विभागीय रूप से कार्य करने वाले तत्कालीन कनीय अभियंता, श्री राम विनोद प्रसाद सिन्हा के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है तथा कनीय अभियंता के पैतृक विभाग, जल संसाधन विभाग द्वारा अभियोजन की स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कराकर शेष कार्य को शीघ्र पूरा कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 44/20– 682(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 21·9·2020

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 1540/वि0स0, दिनांक– 15.09.2020 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/2020
अवर सचिव।

(52)

श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.09.2020 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या जा०–05 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत तोपचाँची प्रखण्ड के बरवाडीह उत्क्रमित मध्य विद्यालय के ऊपर से 11000 वोल्टेज का तार गया है;	स्वीकारात्मक।
क्या यह बात सही है कि 11000 वोल्टेज के तार को कभर जाली नहीं लगाया गया है, जिस कारण दुर्घटना घटने की संभावना बनी रहती है;	स्वीकारात्मक।
यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त तार में कभर जाली लगाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	सुरक्षा के दृष्टिकोण से बरवाडीह उत्क्रमित मध्य विद्यालय के ऊपर से गुजरे 11000 वोल्ट के तार के नीचे एक माह के अंदर जाली लगाते हुए कार्य का सम्पादन कर दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 1998 / दिनांक 20/9/2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/20
सरकार के अवर सचिव

श्री मथुरा प्रसाद, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.09.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–रा०–01 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री मथुरा प्रसाद, माननीय स०वि०स०	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के पंचेत एवं मैथम डैम क निर्माण के क्रम में वहाँ के ग्रामीणों एवं मूल रैयतों से जमीन का अधिग्रहण किया गया था परन्तु अबतक विस्थापितों को नियोजन एवं मुआवजा का लाभ नहीं मिल पाया है;	डी०भी०सी० मैथम एवं पंचेत डैम के निर्माण काल में निरसा विधान सभा क्षेत्र के एगारकुण्ड एवं कलियासोल प्रखण्ड अन्तर्गत ग्रामीणों की भूमि डैम निर्माण में अधिग्रहित की गयी थी। विस्थापितों को भूमि का मुआवजा भूमि अधिग्रहण कानून–1984 के अनुसार तत्कालीन बिहार सरकार के माध्यम से दे दी गयी है तथा यह एक सम्पन्न कार्य है।
2	क्या यह बात सही है कि पंचेत एवं मैथम डैम के निर्माण में फर्जी विस्थापितों की सूची बनाकर नियोजन एवं मुआवजा का लाभ दिया गया है;	डी०भी०सी० मैथन एवं पंचेत डैम के निर्माण कार्य में रैयतों को नौकरी के बदले में 3 लाख रूपयों का भुगतान कर दिया गया है, जिनका नाम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फ्रीज की गयी सूची में था।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय जाँच कराकर सही विस्थापितों को नियोजन एवं मुआवजा का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	यदि इस संबंध में कोई माँग/आवेदन किसी रैयत द्वारा किया जाता है, तो जाँचोपरांत नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 8बी० / भू०अ०नि०वि०स०(तारां०)–104 / 2020- 370 / (8)/रा. राँची, दिनांक 21-9-2020

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1551 / वि०स०, दिनांक–15.09.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.9.2020

सरकार के संयुक्त सचिव

54

प्रो० स्टीफन मराण्डी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-22.09.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-03 का प्रश्नोत्तर-

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
प्रो० स्टीफन मराण्डी, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग:-

क्र०	क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-	
1.	क्या यह बात सही है कि महेशपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पाकुड़िया क्षेत्रान्तर्गत सरकार द्वारा एक भी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण नहीं कराया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पाकुड़िया प्रखण्ड के निवासियों को मुख्यालय से कृषि पर ही जीवनयापन के लिए आधारित रहना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र खासकर प्रखंड का पूर्वी भाग पश्चिम बंगाल का सीमावर्ती क्षेत्र होने के साथ ही एक भी सरकारी कोल्ड स्टोरेज नहीं होने के कारण रबी फसलों का रख-रखाव एवं संरक्षण अधिक अवधि तक करना मुश्किल हो जाता है और फलतः फसल नष्ट हो जाता है और किसानों को उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है ;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में उक्त प्रखंड के पूर्वी भाग में एक कोल्ड स्टोरेज निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य के प्रत्येक जिले में 5000 मे०टन क्षमता के एक-एक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाना है। सम्प्रति 16 जिलों (लोहरदगा, बोकारो, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, साहेबगंज, राँची, गुमला, देवघर, गिरिडीह, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, गोड्डा, कोडरमा एवं दुमका) में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम के माध्यम से किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में क्रमशः पाकुड़ जिला में पाकुड़िया प्रखण्ड के पाकुड़िया लैम्पस एवं पाकुड़ प्रखण्ड के पाकुड़ लैम्पस में 30 एम०टी० क्षमता के एक-एक कोल्ड रूम के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

1297
18.09.2020

ह0/-
(चन्द्रभूषण)
सरकार के अवर सचिव।

कृ०पु०उ०

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक-03/बजट सह0 (विधान सभा)-28/2020 1297 /राँची, दिनांक- 18.09.2020

प्रतिलिपि-सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं0प्र0-1556/वि0स0 दिनांक-15.09.2020 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.09.2020

सरकार के अवर सचिव।

(55)

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 22.09.2020 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 04 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिला के झरिया अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में स्वीकृत नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जोड़ापोखर का निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात् भवन में पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं होने के कारण कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, धनबाद द्वारा स्वास्थ्य विभाग को हस्तगत नहीं किया गया है ;		स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड 1 में वर्णित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पानी और बिजली की कमियों को पूरा कर क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराया जा सकता है ;		स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जोड़ापोखर (आवासीय भवन सहित) में सभी वांछित कमियों को पूर्ण कराकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झरिया–सह–जोड़ापोखर को हस्तगत करते हुए क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवा बहाल करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जोड़ापोखर के भवन की वांछित कमियों को शीघ्र दूर कराकर हस्तगत कराते हुए स्वास्थ्य सेवा बहाल कराने की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 42/20–683(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 21·9·2020

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 1538/वि0स0, दिनांक– 15.09.2020 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/2020

अवर सचिव।

(56)

श्री सुदिव्य कुमार, मा0 स० वि० स० के द्वारा दिनांक 22.09.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०– क–01 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र०	प्रश्न	माननीय विभागीय मंत्री का उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिले में वर्ष 2013–14 से माडा–नन माडा योजना के तहत् सिंचाई कूप तालाब, सड़क, बागवानी जैसे विकासात्मक योजनायें संचालित थी जिसे बन्द कर दिया गया है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। जिला कल्याण पदाधिकारी, गिरिडीह से प्राप्त पत्रांक–680 दिनांक–18.09.2020 के अनुसार विशेष केन्द्रीय सहायता–अनुसूचित जनजाति उपयोजना (प्रोटोटाइप) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में गिरिडीह जिले में स्वीकृत योजनाएँ पूर्ण है। उक्त योजनाएँ जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता–अनुसूचित जनजाति उपयोजना (प्रोटोटाइप) योजनान्तर्गत संचालित की जाती थी। विभागीय पत्रांक–1677 दिनांक–31.05.2016 के अनुसार विशेष केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जनजाति उपयोजना (प्रोटोटाइप) योजनान्तर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अग्रेतर राशि विमुक्त नहीं होनी थी। फलस्वरूप विशेष केन्द्रीय सहायता–अनुसूचित जनजाति उपयोजना (प्रोटोटाइप) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 की कार्यान्वित की जा रही प्रोटोटाइप योजना को अबतक विमुक्त राशि के अन्तर्गत ही पूर्ण करने तथा वैसी योजना जो प्रारंभ नही हुआ है को रद्द करने का आदेश निर्गत है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त योजनाओं को पुनः चालू कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–10/वि0 स0 प्र0–05/2020 1874 राँची, दिनांक– 21/9/2020

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, राँची को उनके ज्ञा० सं० प्र०– 1527, दिनांक– 15.09.2020 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नेसार अहमद)
सरकार के विशेष सचिव।

H:\Vidhan sabha.docx

(57)

डॉ0 इरफान अंसारी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–22.09.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–02 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	डॉ0 इरफान अंसारी, माननीय स0वि0स0	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि संथाल परगना के जामताड़ा, देवघर एवं दुमका जिला में गैर मजरूआ जमीन जिसकी बंदोबस्ती सम्बन्धित मौजा के भूमिहीन एवं रैयतों को संथाल परगना का कास्तकारी अधिनियम के तहत करने का प्रावधान है;	स्वीकारात्मक है। संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम 1949 की धारा–27 के तहत बंजर भूमि की बंदोबस्ती विनिहित प्रपत्र में पट्टे या अमलनामे के माध्यम से धारा–28 (घ) के द्वारा संबंधित मौजा के ही भूमिहीन एवं रैयतों को बंदोबस्त किये जाने का प्रावधान है।
2	क्या यह बात सही है कि सम्बन्धित मौजा के प्रधान द्वारा रेयतों के निर्गत पट्टा की अनदेखी कर भू–माफिया को जमीन हड़पने में मदद कर रही है;	अस्वीकारात्मक है। जामताड़ा, देवघर एवं दुमका जिला में इस तरह का मामला अबतक प्रकाश में नहीं आया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त जिलों में बंदोबस्ती को रद्द करते हुए संबंधित मौजा के रैयतों को जमीन पट्टे के आधार पर बंदोबस्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 05 / स0भू0वि0स0(तारां0)–82 / 2020 -2466(5) / रा. राँची, दिनांक– 21-09-2020

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1550 / वि0स0, दिनांक–15.09.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/2020

सरकार के संयुक्त सचिव

(58)

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, माननीया स.वि.स. द्वारा दिनांक–22.09.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–05 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न		उत्तर
	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, माननीया स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के झरिया अंचल क्षेत्र अन्तर्गत बस्ताकोला मौजा संख्या–140, खाता सं.–54, प्लॉट सं.–314 एवं अन्य कुल रकबा–180.45 एकड़ जमीन में से लगभग 5.54 एकड़ चाँदमारी आदिवासी बस्ती निवासी अनु0 जन जाति परिवार के रैयत श्री बिरजु बेसरा व अन्य का तथा लगभग–10.56 एकड़ जमीन गैर आबाद खाते का है ;		आंशिक स्वीकारात्मक। C.S. खतियान के अनुसार गैर आबाद खाते की भूमि है। महाप्रबंधक बस्ताकोला से प्राप्त प्रतिवेदन, पत्रांक–B.C.C.L. :IX GM: 2020:212, दिनांक–17.09.2020 के अनुसार मौजा–बस्ताकोला C.S. खाता के अनुसार खाता सं0–54, प्लॉट सं0–314, रकबा–180.45 एकड़ पूर्व कोलियरी मालिक के डीड सं0–8031/1946 के माध्यम से बी0सी0सी0एल0 की निहित संपत्ति है। हाल सर्वे के अनुसार C.S. खाता सं0–54 को दो खाता में विभाजित किया गया है, क्रमशः (1) खाता सं0–195 बी0सी0सी0एल0 के नाम से दर्ज है एवं (2) खाता सं0–196 आनाबाद बिहार सरकार के नाम से दर्ज है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित जमीन पर रैयतों तथा गैर आबाद जमीन पर सरकार से बिना अनुमति लिये बी0सी0सी0एल0 द्वारा आउटसोर्सिंग का कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है;		अस्वीकारात्मक। उक्त स्थल पर फिलहाल परियोजना का कार्य नहीं हो रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में उल्लेखित जमीन पर नियम विरुद्ध चालु बी0सी0सी0एल0 के आउटसोर्सिंग कार्य को बंद करवाना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?		उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–5/स.भू. धनबाद (वि.स. तारां.)–83/2020-2467 (5)/रा., राँची, दिनांक–21-09-2020

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–1553/वि.स., दिनांक–15.09.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/2020
सरकार के संयुक्त सचिव।

59

श्री इन्द्रजीत महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.09.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख–03 का प्रश्नोत्तर :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
	श्री इन्द्रजीत महतो, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि बी०सी०सी०एल० / ई०सी०सी०एल० कोल कम्पनियों द्वारा कोयलान्चल क्षेत्र के किसानों की जमीन पैकेज डिलिंग के तहत अधिग्रहण की गई है, जिसे बिना निबंधन किये कम्पनियों द्वारा उपयोग किया जा रहा है ;	बी०सी०सी०एल० / ई०सी०एल० कोल कम्पनियों द्वारा CBA, Act, 1957 के तहत् भूमि अर्जन की कार्रवाई की गई है । CBA, Act, 1957 की धारा–3 के अन्तर्गत Competent authority for determination of Land compensation and R&R benefits, भारत सरकार द्वारा नामित किये जाते है ।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन निबंधन किये बिना उपयोग किये जा रहे जमीन का मुआवजा एवं नौकरी किसानों को नही दिया गया है ;	विभिन्न श्रोतों से इस संबंध में परिवाद / शिकायत प्राप्त हुआ है, जिसके निराकरण हेतु भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया गया है ।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोयलान्चल क्षेत्र के रैयातों को अधिग्रहित जमीन के बदले मुआवजा एवं नौकरी देने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	रैयतो को उचित मुआवजा एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की सुविधा उपलब्ध कराने के मद्देनजर विभागीय स्तर से भारत सरकार के कोयला मंत्रालय एवं कोल कम्पनी के अनुषंगी ईकाई CCL/BCCL/ECL को कार्रवाई करने हेतु सूचित किया गया है ।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–8बी / भू०अ०नि०, वि०स० (तारांकित)–108 / 2020-368 / नि०रा०, राँची, दिनांक–21-9-2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप संख्या–1533 / वि०स०, दिनांक–15.09.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 प्रति (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा० मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/2020
सरकार के उप सचिव।

(60)

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.09.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ज०–1 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला का राजमहल विधान–सभा क्षेत्र 83.15 कि०मी० तट व मध्य क्षेत्र में अवस्थित है, जो "Erosion Prone Area" कहलाता है.	आंशिक स्वीकारात्मक। राजमहल विधान सभा के अन्तर्गत गंगा नदी के दाँये किनारे का 83.15 कि०मी० के कुछ स्थान कटाव प्रभावित है तथा कुछ स्थान कटाव से प्रभावित नहीं है। Erosion free एवं Erosion affected क्षेत्रों की सूची संलग्न है।
2.	क्या यह बात सही है कि जिला के प्रखण्ड राजमहल अन्तर्गत ग्राम पंचायत मोकिमपुर से ग्राम पंचायम सैदपुर तक, जो एन०एच० 80 के नजदीक है तथा उधवा प्रखण्ड के पंचायत श्रीधर दियारा के कॉलोनी नं०–10 के आसपास क्षेत्रों में गंगा कटाव जारी है, जहाँ घनी आबादी आवासित है और गंगा कटाव निरोधक कार्य कराना अत्यन्त आवश्यक है.	स्वीकारात्मक। ग्राम पंचायत मोकिमपुर के ग्राम शोभापुर के पास गंगा नदी NH से बिल्कुल सटे बह रही है। वर्तमान में कई स्थानों पर NH-80 की दूरी तट से 10' तक रह गई है। उधवा प्रखण्ड के पंचायत श्रीधर दियारा के आसपास के क्षेत्रों मे भी कई स्थानों पर गंगा नदी के जलस्तर के बढ़ने पर कटाव प्रारम्भ हो जाता है।
3.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज सदर प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत रामपुर स्थित सकरीगली के ग्राम गोपालपुर दियारा, पंचायत मखमलपुर उत्तर अन्तर्गत ग्राम कारगिल एवं हरप्रसाद पंचायत के ग्राम टोपरा दियारा और रामपुर में भी गंगा नदी में बाढ़ के कारण गंगा कटाव जारी है, जिससे जानमाल की क्षति हुई है.	आंशिक स्वीकारात्मक। साहेबगंज सदर प्रखण्ड के अन्तर्गत पंचायत रामपुर स्थित सकरीगली के ग्राम गोपालपुर दियारा में कई स्थान कटाव से प्रभावित है तथा पंचायत मखमलपुर अन्तर्गत ग्राम कारगिल एवं हरप्रसाद पंचायत के ग्राम टोपरा दियारा और रामपुर ये सभी स्थान गंगा के दियारा क्षेत्र में आते हैं। प्रत्येक वर्ष बरसात के मौसम में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण उपरोक्त गाँवों के निचले इलाकों में गंगा नदी का पानी भर जाता है तथा वहाँ रहने वाले लोग ऊँचे स्थानों पर चले जाते हैं। पुनः गंगा नदी का जलस्तर कम होने पर लोग वापस आ जाते हैं। ऐसा प्रत्येक वर्ष होता है, इस वर्ष भी अभी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, फलस्वरूप निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में हमेशा जानमाल के हानि की संभावना बनी रहती है, परन्तु इस वर्ष अभी तक किसी प्रकार के जानमाल के हानि की सूचना प्राप्त नहीं है।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (2) एवं (3) में वर्णित पंचायतों में आवासित स्थानीय एवं जानमाल की सुरक्षा तथा NH-80 पथ के बचाव हेतु अविलम्ब गंगा कटाव निरोधक कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राजमहल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गंगा नदी के 83.15 कि०मी० दायें तट की कटाव से सुरक्षा हेतु DPR Consultant WAPCOS द्वारा तैयार कराया गया है। वर्तमान में WAPCOS द्वारा तैयार DPR अनुशंसा हेतु गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (GFCC), पटना को भेजा गया था। GFCC द्वारा सूचित किया गया कि DPR में कुछ संशोधन की आवश्यकता है। इसके आलोक में DPR में आवश्यक संशोधन हेतु WAPCOS को भेजा गया है। GFCC द्वारा अनुशंसा के उपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–तारां०–55/2020 – 3897 /राँची, दिनांक 20/09/2020

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1524 वि०स० दिनांक 15.09.2020 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कोके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(61)

प्रो० स्टीफन मराण्डी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक-22.09.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-कृष-02 का प्रश्नोत्तर-

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
प्रो० स्टीफन मराण्डी, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग:-

क्र0	क्या मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-	
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 में 5000-5000 MT क्षमता के 16 नये कोल्ड स्टोर बनाने का फैसला लिया गया था ;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य के प्रत्येक जिले में 5000 मे0टन क्षमता का एक-एक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाना है। जिसके अन्तर्गत सम्प्रति 16 जिलों (लोहरदगा, बोकारो, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, साहेबगंज, राँची, गुमला, देवघर, गिरिडीह, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, गोड्डा, कोडरमा एवं दुमका) में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम के माध्यम से किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि 121 करोड़ की लागत से बन रहे उक्त कोल्ड स्टोर इतने वर्षों के बाद भी मात्र 20-65 प्रतिशत भौतिक प्रगति के साथ 09 का निर्माण कार्य अधूरा है जबकि 07 कोल्ड स्टोर का निर्माण अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के कांके प्रखण्डान्तर्गत बोरियो में अर्द्ध निर्मित 2400 MT क्षमता वाली कोल्ड स्टोर वर्ष 2017 में ध्वस्त हो गया लेकिन विभागीय जांच के बाद भी दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई ;	आंशिक स्वीकारात्मक। उक्त मामले में दर्ज कांके थाना काण्ड संख्या-95/2017 दिनांक-28.07.2017 में प्राप्त पुलिस अनुसंधान प्रतिवेदन के अनुसार प्राकृतिक आपदा के समान हुई अत्यधिक वर्षा को शीत गृह के ध्वस्त होने का मुख्य कारण प्रतिवेदित किया गया है। प्राप्त अनुसंधान प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग स्तर पर की जा रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों के हित में अपूर्ण कोल्ड स्टोर को पूर्ण कराने एवं ध्वस्त हुए कोल्ड स्टोर में संलिप्त पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

ह0/-

(चन्द्रभूषण)
सरकार के अवर सचिव।

1301
19/9/2020

कृ0पृ0उ0

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक-03/बजट सह० (विधान सभा)-29/2020 1301 /राँची, दिनांक- 19/9/2020

प्रतिलिपि-सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं०प्र०-1557/वि०स० दिनांक-15.09.2020 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.09.2020

सरकार के अवर सचिव।